

भाग - II

1	परियोजना के अनुमोदन के लिए कारण के साथ डी.एफ.ओ. की विशिष्ट सिफारिशें।	परियोजना से आस-पास के ग्रामवासियों को पीने के पानी की सुविधा मिल सकेगी। उक्त परियोजना राष्ट्रीय विकास हित में है। वन भू संरक्षित क्षेत्र बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व की कोर/बफर सीमा में मुख्य मार्ग के किनारे से गुजरने वाले मार्ग के "राइट ऑफ वे" में निर्मित है। वनभूमि मांग न्यूनतम है जिसकी अनुशंसा की जाती है।
---	---	---

स्थान:- उमरिया

दिनांक:-

उप संचालक
बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व
उमरिया (म.प्र.)

कार्यालय क्षेत्र संचालक, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, उमरिया (म.प्र.)

-: प्रमाण पत्र :-

म.प्र. जल निगम मर्यादित (म.प्र. शासन का उपक्रम) द्वारा प्रस्तावित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के परिक्षेत्र कोर/बफर सीमा में मुख्य मार्ग के किनारे (राईट आफ वे अंतर्गत) पीने के पानी की पाइप लाइन बिछाने हेतु 0.641 हे. वनभूमि की मांग न्यूनतम है, कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं होने से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है, भारत सरकार द्वारा भविष्य में शर्त अधिरोपित शर्त मान्य करने तथा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना में होने वाली व्यय राशि का भुगतान करने हेतु वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उप संचालक
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व
उमरिया (म.प्र.)